संख्या-14/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 27 नवम्बर, 2015

विषय पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नत कर्मी, जिन्हें कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनॉक 21-08-2015 एवं 22-09-2015 के क्रम में पदावनत किया गया है, के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदनों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनॉक 29 अक्टूबर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि-

''कतिपय प्रकरणों में उक्त वर्णित शासनादेशों (दिनॉक 21-08-2015 एवं 22-09-2015) के प्राविधानों से भिन्न आधार पर पदावनति की कार्यवाही की गयी है। इसी के कारण संबंधित कर्मियों, जिन्हें पदावनत किया गया है, के द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण नियमानुसार किया जाना आवश्यक है। आपके संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहूँगा कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कन्टेम्प्ट पिटीशन (सी) नं214 आफ 2013 इन सी.ए. नं. 2679 आफ 2011 अमर कुमार एवं अन्य बनाम जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश एवं अन्य तथा इसके साथ सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में दिनॉक 13-10-2015 को आदेश प्रसारित किये गये हैं। इस आदेश का एक अंश यह भी है कि पदावनति से यदि कोई कर्मी क्षुब्ध है तो ऐसे प्रत्यावेदन पर प्रमुख सचिव, कार्मिक द्वारा निर्णय लिये जाने हैं। इस पृष्ठभूमि में यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे प्राप्त प्रत्यावेदन पर सुस्पष्ट विभागीय आख्या/संस्तुति देते हुए इन पर निर्णय लेने हेतु पत्रावली सहित प्रमुख सचिव, कार्मिक को प्रत्यावेदन तथा इससे संबंधित समस्त प्रकरण संदर्भित किये जायें।''

http://shasanadesh.up.nic.in

2 इसी क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 24-11-2015 को, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता के आग्रह पर, अपने पूर्व प्रसारित आदेश दिनॉक 13-10-2015 में संशोधन करते हुए, आदेश प्रसारित किये गये हैं, जिसके कार्यकारी अंश निम्नवत हैं-

It is contended by Mr.Mehrotra that there are around one thousand representations/grievance petitions and a singular authority is not in a position to take the decision on the same. It is urged by him that instead of Principal Secretary, Department of Personnel, State of U.P. it may be substituted as Principal Secretary/Head of the Department in respect of employees of the State, and the Managing Director of the Corporations (Competent Authority/Appointing Authority) who shall decide the petitions in respect of the employees of the Corporation. The said prayer is accepted.

At this juncture, it is necessary to further add that anyone who shall make a representation mitigating its grievance, shall be afforded an opportunity of hearing and the concerned authority, as mentioned hereinabove, shall decide the same within a period of eight weeks from the date of receipt of the representation. The persons who have not submitted the representation mitigating their grievance, may submit the petitions/representations within four weeks hence. Anyone who is grieved by the decision of the competent authority, will be entitled to file an application in the disposed of Civil Appeal and other connected appeals, as has been mentioned in the earlier order.

We may hasten to add that the competent authority shall pass a reasoned order so that it can be appreciated by this Court.

Needless to emphasise that any representation which has to be decided, has to be in the light of the principles enshrined in U.P. Power Corporation Ltd. Vs. Rajesh Kumar & Others reported in (2012)7 SCC 1. Needless to say, the competent authority shall be guided by the principles of objectivity while passing the order.

The order dated 13-10-2015 is modified to the above extent.

http://shasanadesh.up.nic.in

3 मा0सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के समादर में अपेक्षा की जाती है कि पदावनति से क्षुब्ध कार्मिकों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनों अथवा किसी कार्मिक की पदावनति न किये जाने से क्षुब्ध कार्मिक द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनों का निस्तारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व प्रस्तर-2 में उल्लिखित अद्यतन आदेश दिनाँक 24-11-2015 के समादर में कार्मिक विभाग के पूर्व निर्गत शासनादेश दिनाँक 21-08-2015 एवं 22-09-2015 के अनुक्रम में करने का कष्ट करें।

4 यह भी अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, प्राधिकरणों तथा परिषदों तथा इन्हीं के समान अन्य संगठनों को भी उपर्युक्त प्रस्तर-3 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

5 उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनाँक 29-10-2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा प्राप्त प्रत्यावेदनों पर निर्णय लेने हेतु विभागीय आख्या/संस्तुति अब प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासनिक विभाग द्वारा जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग के परामर्श की आवश्यकता समझी जाये, उनमें परामर्श के विशिष्ट बिंदुओं को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए पत्रावली आवश्यकतानुसार कार्मिक विभाग को प्रेषित की जा सकती है।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-14(1)/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, तदद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त शासनादेश की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें-

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2 प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4 सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in